क्रम-संख्या–36

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 2 मार्च, 2021
फाल्गुन 11, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3

संख्या 331 / 76-3–2021-44एनजी-2020
लखनऊ, 2 मार्च, 2021

अधिसूचना

सा०प०नि०–10

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 51 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण की संस्तुति पर, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नये पैकेज वाले जल उद्योगों को छोड़कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम०एस०एम०ई०) की श्रेणी में आने वाले नये उद्योगों को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 12 के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

OPPO Reno2 F
2022/04/27 17:16

क्रम-संख्या–35

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 2 मार्च, 2021

फाल्गुन 11, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3

संख्या 330/76-3–2021-44एनजी-2020

लखनऊ, 2 मार्च, 2021

अधिसूचना

सा०प्रा०नि०–9

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 51 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण की संस्तुति पर, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों जिनका भू-गर्भ जल आहरण 10 घन मीटर प्रतिदिन से कम हो, को भू-गर्भ जल निष्कर्षण अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपबन्ध से छूट प्रदान करती हैं। तथापि ऐसे उद्यम पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 तथा 11 के अधीन यथाविहित रीति से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करेंगे।

आज्ञा से,
अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

OPPO Reno2 F
2022/04/27 17:57